24/6/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इत्तला होकर
पत्रावली आइन्दा 18/7/22 को पेश हो।

18/ 18/07/22 = प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज खुलवाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त कास्त के सम्बन्ध में लोक अदालत की भावना से मौका के मौजीज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है जिससे अब उक्त इन्तकाल प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उक्त इन्तकाल प्रकरण जरिये निगरानी खारिज किया जावे।

वादी/प्रार्थी ने इस बात की जरिये निगरानी खारिज करवाने हेतु अतः प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर इस न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 22/04/22 निरस्त की जाकर उक्त [illegible] प्रकरण जरिये राजीनामा निगरानी [illegible] किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान सहायक कलक्टर (SDO)महोदयजी,

गुडामालानी –बाडमेर

प्रार्थी :–

पीराराम पुत्र धनश्याम उम्र 35 वर्ष
जाति गायणा निवासी गोदारो की ढाणी गाधव कला
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. धनश्याम पुत्र जोरा उम्र 50 वर्ष
2. राजेश पुत्र धनश्याम उम्र 30 वष
3. संगीता पुत्री धनश्याम उम्र 25 वर्ष
4. छगनलाल पुत्र जोरा उम्र 53 वर्ष
5. श्रीमति सुवटी पत्नी जोरा उम्र 72 वर्ष
6. भवरलाल पुत्र रणजीता उम्र 72 वर्ष
7. काशीराम पुत्र रणजीता उम्र 68 वर्ष
8. ब्रीजलाल पुत्र रणजीता उम 56 वर्ष
9. भूराराम पुत्र रणजीता उम्र 63 वर्ष
10. रतनलाल पुत्र रणजीता उम्र 60 वर्ष
11. बाबूलाल पुत्र रामू उम्र 68 वर्ष
12. बंशीलाल पुत्र रामू उम्र 65 वर्ष
13. [illegible] 60 वर्ष
14. [illegible] 58 वर्ष
15. श्रीमति मी[illegible] पत्नी रामू उम्र 75 वर्ष

रामजीवन विश्नोई
एडवोकेट
R/2125/09
Mo. 9414204665

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

16.रामेश्वर पुत्र रामू लाओलाद फोत जिनके वारीसान प्र0वा0स0 9 से 13 तक

17.मामराज पुत्र चूनीलाल उम्र 78 वर्ष

18.रामदेव पुत्र मोहन उम्र 42 वर्ष जातियान गायणा निवासीयान गोादारो की ढाणी गाधव कला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

19.भागचन्द पुत्र चुन्नीलाल फौत के कायम मुकामान

19/1. श्रीमति विमला पत्नी भागचन्द उम्र 66 वर्ष

19/1. हनुमान पुत्र भागचन्द उम्र 50 वर्ष जातियान गायणा निवासी गोदारो की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

19/2. उग्रसेन पुत्र भागचन्द फौत के वारीसान

19/2/1. विकास पुत्र उग्रसेन उम्र 28

19/2/2. प्रियका पुत्री उग्रसेन उम्र 25

19/2/3. कौषल्या पत्नी उग्रसेन उम्र 45

जातियान गायणा निवासी गोदारो की ढाणी हाल निवासी गुमजाल तहसील फिरोजपुर अबोहर पंजाब

20. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टैट बैक षाखा गुडामालानी

21.शाखा प्रबन्धक ,आरएमजी[illegible] शाखा धोरीमना

22.शाखा प्रबन्धक [illegible] शाखा धोरीमना

23.शाखा प्रबन्धक , बैक आफ बडौदा शाखा धोरीमना

24.श्रीमान तहसीलदार एव उपपंजियक गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम सपठित आदेष 39 नियम 1 व 2 अस्थाई निषेधाज्ञा

निवेदन प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न प्रकार से है :–

1. कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे पेष किया है जिसमे वर्णित तथ्यो व दस्तावेजो से प्रार्थी का वाद प्रथम द्धष्टया प्रमाणित होने से सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना है।
2. कि प्रार्थी के पडदादा चुन्नीलाल का देहान्त हुआ तब उक्त आराजी प्रार्थी के दादा जोरा व उनके भाईयो के नाम से विरासत मे फौतगी का नामान्तरण खोला गया। तथा प्रार्थी के दादा जोरा के देहान्त पर उनके वारीसन के रूप मे विरासत का नामान्तरण प्रार्थी के पिता विप्रार्थी सख्या 1 व विप्रार्थी सख्या 4 एव 5 के नाम खोजा जाकर राजस्व रेकर्ड सधारित किया गया जो विप्रार्थी सख्या 1 प्रार्थी व विप्रार्थी सख्या 2 से 3 के पिता है, जो वर्तमान मे उक्त आराजी के खातेदार है । इस प्रकार प्रथम द्धष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है।
3. कि प्रार्थी की पुष्तैनी आराजी मौजा गोदारो की ढाणी पटवार हल्का गाधव कला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 79 रकबा 0.1052 हेक्टयेर किस्म गेरमुमकिन ,खसरा नम्बर 80 रकबा 0.0809 हेक्टेंयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 81 रकबा 3.6988 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम ,खसरा नम्बर 81/2 रकबा 2.1691 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम ,खसरा नम्बर 81/5 रकबा 0.7608 हैक्टेयर किस्म बारनी सोमय, खसरा नम्बर 98 रकबा 8.4903 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल क्षैत्रफल 15.3051 हैक्टेयर तथा मोजा गाधव कला के खेत खसरा नम्बर 210 रकबा 6.7259 हैक्टैयर जिसमे वादी का 1/72 वा हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/72–1/72 हिस्सा पैतृक हक हकूक का आया हुआ है।
4. कि विप्रार्थी सख्या 1 व 4 विप्रार्थी सख्या 5 के प्रभाव मे इसलिए वादग्रस्त पैतृक सम्पति को अजनबी केता के पक्ष मे मौका पाकर अनुचित फायदा उठाकर बैचान करने पर आमदा है, [illegible] दी और लगातार प्रार्थी व उनके भाईयो के मना [illegible] रहे है इस समस्त कार्यवाही मे प्रार्थी के हितो पर प्रतिकूल [illegible]व पड़ने की सम्भावना है। अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:08:45 IST
Reason: SelfAttested